न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 52/2014
प्रविष्टि दिनांक 27–6–2014

बालचन्द पुत्र प्रहलाद उर्फ रामविलास जाति गूर्जर निवासी चितानी तहसील उनियारा जिला टोंक

—अपीलान्ट

वनाम

कालू पुत्र स्वरूपा जाति मीना निवासी खोहल्या तहसील उनियारा जरिये दत्तक पुत्र आत्माराम मीना

— रेस्पोडेन्टस

अपील अर्न्तगत धारा 225 रा0 टि0 एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार उनियारा, दिनांक 11.06.2014

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक रेस्पोडेण्ट्स

आदेश दिनांक 17–3–2021

अपील का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत धारा 183 बी राज0 टि0 एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जिसको तहसीलदार ने स्वीकार कर खसरा नम्बर 8/882 रकबा 1.90 हैक्टर में से1.25 है0 ग्राम चितानी तहसील उनियारा अपीलान्ट को वेदखल करने, कब्जा रेस्पोडेन्ट को सम्भालने, व पेनेल्टी कायम करने का निर्णय पारित किया है अपीलान्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजरी खसरा नम्बर 8/882 रकबा 1.25 है0 पर रेस्पोडेट का या उसके पूर्वजों का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि गत 50–60 साल से लेकर आज तक अपीलान्ट के पूर्वजों का व उसके बाद अपीलान्ट का लगातार शन्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भू[illegible] हो चुके हैं अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसी साक्ष्य प्रथम दृष्टया नहीं हैं जिससे [illegible]मि पर उसके द्वारा 12 वर्षो के भीतर नाजायज कब्जा किया हो [illegible] ध्यान नहीं दिया तथा कानून का गलत अवलम्ब लेकर अपीलाधीन नि[illegible] पारित कर दिया जो चलने योग्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:11 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
टोंक

Scanned by CamScanner

नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 183–बी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के गत 12 वर्षों के भीतर–भीतर रेस्पोडेण्ट का विवादित भूमि पर कब्जा रहा हो या उसे जबरन ताकत के बल पर बेदखल किया हो ऐसा कोई कथन या साक्ष्य का तत्व मोजूद नहीं है एंव न ही इस सम्बन्ध में कोई फाइन्डिंग दी हे कि प्रकरण किस प्रकार अन्दर मियाद है, क्योकि यदि 12 वर्ष के बाद इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो वह किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं है। तहसीलदार ने उक्त निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 11–6–2014 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट्स के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए रेस्पोडेण्ट के अभिभाषक ने कथन किया कि विवादित भूमिखसरा नम्बर 8/882 रकबा 1.90 हैक्टर में से 1.25 हेक्टर ग्राम चितानी तहसील उनियारा अपीलान्ट ने कब्जा कर रखा है। उक्त भूमि का आवेदक एक मात्र खातेदार है ओर उक्त आराजी से अपीलान्ट्स का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अपीलान्ट्स जो कि सरजोर लड़ाकू, झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है और इन लोगों ने मिलकर रेस्पोडेण्ट्स को कमजोर तथा अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति होने के कारण लठ्ठ के बल पर भूमि पर कब्जा कर रखा है। रेस्पोडेण्ट भूमि पर काश्त नहीं करने देते ओर लड़ाई झगड़ा कर मारने पर उतारू रहते हें इस कारण रेस्पोडेण्ट्स ने तहसीलदार उनियारा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया था तहसीलदार उनियारा द्वारा पारित निर्णय उचित है। अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय कि पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार उनियारा को पक्षकार नहीं बनाया गया है कि जबकि जिसके द्वारा आदेश पारित किया गया है उसे आवश्यक रूप से पक्षकार बनाया जाना विधि अनुसार आवश्यक था किन्तु अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार उनियारा को पक्षकार नहीं बनाया गया है। रेस्पोडेण्ट अनुसूचित जन जाति मीना समाज का व्यक्ति हे, उनकी भूमि पर अपीलांट ने अनाधिकृत अतिकमण कर रखा है, जिसका की उसको कोई कानूनन अधिकार नहीं है। अनुसूचित जाति/जन जाति की भूमि की सुरक्षा हेतु धारा 183 बी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रावधान नियत किया है व इसके प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी की भूमि पर किये गये अतिकमण को हटाने व बेदखल कर भूमि का कब्जा रेस्पोडेण्ट को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान किया हे, उक्त आदेश राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से एवं राजस्व विभाग की जांच रिपोर्ट के पश्चात सम्पूर्ण रूप से विनिश्चय कर साक्ष्य का अवलोकन कर कानूनन रूप से निर्णय पारित किया हे, जो उचित एवं न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 11–6–2014 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17–3–2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलक्टर
टोंक

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner